

महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार के लिए आर्थिक कार्य विभाग (मुख्य) में शिकायत समिति का गठन

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विषय पर महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशों तथा विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अगस्त 1997 के निर्णय के निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में, इस विभाग ने 1997 में तत्कालीन वित्त सचिव के अनुमोदन से आर्थिक कार्य विभाग (मुख्य) में कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया था. समय-समय पर मौजूदा अध्यक्ष / सदस्य के आदि स्थानांतरण के उपरांत शिकायत समिति की संरचना को बाद में बदला गया था. इसलिए, महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार के लिए आर्थिक कार्य विभाग में शिकायत समिति 21 अगस्त, 2011 को पुनर्गठित की गई है. यह समिति अब निम्नानुसार होगी:

का.जा. - महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार के लिए आर्थिक कार्य विभाग (मुख्य) में शिकायत समिति - (175 KB) संरचना में बदलाव के बारे में (दिनांक 06 जुलाई 2015)

यौन उत्पीड़न पर शिकायत समिति, आर्थिक कार्य विभाग. की 4 सितंबर 2015 को आयोजित 17वीं तिमाही बैठक का कार्यवृत्त, (2 एमबी) (दिनांक 14 सितंबर, 2015)

आर्थिक कार्य विभाग में शिकायत समिति का संपर्क विवरण

नाम और पदनाम	पद	कार्यालय का टेलीफोन नंबर	आधिकारिक पता
1 सुश्री अपर्णा भाटिया, निदेशक(एम आई), आ.का.वि	अध्यक्ष	23094452	कमरा नंबर 51डी , नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -1.
2 सुश्री बीना जैन, अध्यक्ष (एआईडब्ल्यूसी)	सदस्य (एनजीओ)	23389680	6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली -1.
3 सुश्री पेटल दिल्ली, उप सचिव, आ.का.वि	सदस्य	23092100	कमरा नंबर 66सी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -1.
4 श्री बी डी बरुआ , उप सचिव (सतर्कता)	सदस्य-सचिव (पदेन)	23095235	कमरा नंबर 242 , नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -1